

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 46/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 23 मई, 2018

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 50/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

- (i) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं० 37, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "30 %" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (iii) क्रम सं. 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा I

[फा.सं० 354/68/2006-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना सं० 44/2018-सीमाशुल्क, तारीख 10 अप्रैल, 2018 सा.का.नि. 358 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।